

क्र०.एफ.९(४४)/स.प.पु.वि/अका/प्रवेश रद्द/१६/

दिनांक नवम्बर २०१६

कार्यालय आदेश

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक, दिनांक २० सितम्बर, २०१६ को की गई। जिसमें विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक: एसपीयूपी/एके./प्रवेश रद्द/२०१४-१५/९४३ दिनांक ०८.०७.२०१५ में निम्नलिखित संशोधन किया गया। जिसके अनुसार वि.वि. द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में, वि. वि. द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा, निजी कारणों से प्रवेशोपरान्त पुनः प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाकर, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस लौटाने (refund) हेतु निवेदन करने के सम्बन्ध में, अनुमोदनानुसार निम्नलिखितानुसार राशि की कटौती की जाकर, शेष फीस लौटाने के आदेश जारी किये जाते हैं:-

१. शुल्क जमा कराये जाने के दिन से शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व, प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, तो प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि रुपये १०,०००/- की कटौती की जावेगी।
२. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु आवेदन करने पर, उसे मात्र जमानती राशि (Caution Money) ही लौटाई जावेगी। अन्य कोई राशि नहीं लौटाई जावेगी।
३. किन्हीं विशेष विषम परिस्थितियों में, यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम का संचालन बन्द/रोक दिया जाता है, तो सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों को, बिना किसी कटौती के, पूरी फीस लौटाई जायेगी।

क्र०.एफ.९(४४)/स.प.पु.वि/अका/प्रवेश रद्द/१६/३६२१-३६२५
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

१. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय : वास्ते सूचनार्थ
२. परीक्षा नियन्त्रक, एसपीयूपी, जोधपुर
३. उप-कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर
४. सहायक कुलसचिव, लेखा अनुभाग, एसपीयूपी, जोधपुर
५. रक्षित पत्रावली

कुलसचिव

दिनांक ९, नवम्बर २०१६

कुलसचिव